

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

(1)	(2)	(3)
10/6/25	प्रकरण संस्तुत। उपरोक्त अनुपरिष्कृत। संयुक्त पत्रिका- विपरीत अक्षात्ता संस्करण-पत्र-02 पत्रिका- को। मानक 23.06.25	
16.06.25	पुनश्च आवेदन का प्रवर्तन- ठिथ्य गया। आवेदन में आवेदन द्वारा कौन जोड़ने वाले वृक्षों के संबंध में कोई भी विवरण उल्लेखित नहीं किया है। आवेदन अग्रहण होने से खारिज है। प्रकरण नसीबद्वय कर दाखिल दफ्तर है। आवेदन सूचित है।	सुबभागीय अधिकारी (रा.) गरियाबंद